न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर०ए०एस०)

वाद सं० : 32 सन 2020

अनवान :–

1. धर्मपाल पुत्र गोविन्दराम जाति मेघवाल निवासी मालिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. भजनाराम पुत्र गोविन्दराम जाति मेघवाल निवासी मालिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
3. मुखराम पुत्र गोविन्दराम जाति मेघवाल निवासी मालिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
4. रामकुमार पुत्र पुत्र गोविन्दराम जाति मेघवाल निवासी मालिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

सायलान

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर

गैरसायल

प्रार्थना पत्र बाबत दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– श्री हवासिह पुनिया अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 31/12/2020

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता एक वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आश्य का पेश किया की रोही मौजा मालिया के खाता संख्या 120/123 के खसरा न0 103/2.2770 , 186/4 की 3.0230 ,98 की 1.7200 ,99/4 की 3.0740हैक कुल 10.0940हैक भूमि सायलान के नाम से बतौर खातेदार दर्ज रिकार्ड है।

सायलान का नाम राजस्व रिकार्ड में सही तौर से दर्ज है किन्तु सायलान के पिता का नाम राजस्व रिकार्ड में गोमन्दराम दर्ज है जबकि सायलान के पिता का सही नाम गोविन्दराम है सायलान के पिता का नाम सहवन से राजस्व रिकार्ड में गोमन्दराम दर्ज हो गया लेकिन अन्य सभी दस्तावेजात में सायलान के पिता का नाम गोविन्दराम दर्ज है सही नाम गोविन्दराम है सायलान अपने पिता का सही नाम गोविन्दराम राजस्व रिकार्ड में दर्ज कवाना चाहते है।

सायलान ने अपने कथनों के समर्थन में मतदाता फोटो पहचान पत्र, आम आदमी का आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, आदि सभी में सायलान के पिता का नाम गोविन्दराम दर्ज है अर्थात सही नाम गोविन्दराम होना प्रतित होता है

सायलान के पिता का नाम राजस्व रिकार्ड में गलत तौर से दर्ज रहने से सायलान को राज्य सरकार के द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं का लाभ नही मिल पा रहा है सायलान के पिता का गलत नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज रहने से सायालन के खातेदारी अधिकारो का हनन होता है वादी अपना नाम संशोधन करवाने का अधिकारी है

अत : सायलान का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा मालिया के खाता संख्या 120/123 के खसरा न0 103/2.2770 , 186/4 की 3.0230 ,98 की 1.7200 ,99/4 की 3.0740हैक कुल 10.0940हैक भूमि सायलान के पिता का नाम गोमन्दराम के स्थान पर गोविन्दराम संशोधन करने के आदेश फरमावे।

सायालन का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को जरिये सम्मन तलब किया गया गैरसायल की और से पेरोकार राज उपरिथत आकर जबाब पेश किया की सायलान के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो के आधार पर सायलान का नाम राज्यहको को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण किया जाना उचित है जबाब शामिल मिसल किया जाकर उभयपक्षों को सुना गया

वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा मालिया के खाता संख्या 120/123 के खसरा न0 103/2.2770 , 186/4 की 3.0230 ,98 की 1.7200 ,99/4 की 3.0740हैक कुल 10.0940हैक भूमि सायलान के नाम से बतौर खातेदार दर्ज रिकार्ड है।

सायलान का नाम राजस्व रिकार्ड में सही तौर से दर्ज है किन्तु सायलान के पिता का नाम राजस्व रिकार्ड में गोमन्दराम दर्ज है जबकि सायलान के पिता का सही नाम गोविन्दराम है सायलान के पिता का नाम सहवन से राजस्व रिकार्ड में गोमन्दराम दर्ज हो गया लेकिन अन्य सभी

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

दस्तावेजात में सायलान के पिता का नाम गोविन्दराम दर्ज है सही नाम गोविन्दराम है सायलान अपने पिता का सही नाम गोविन्दराम राजस्व रिकार्ड में दर्ज कवाना चाहते है।

सायलान ने अपने कथनों के समर्थन में मतदाता फोटो पहचान पत्र, आम आदमी का आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, आदि सभी में सायलान के पिता का नाम गोविन्दराम दर्ज है अर्थात सही नाम गोविन्दराम होना प्रतित होता है

सायलान के पिता का नाम राजस्व रिकार्ड में गलत तौर से दर्ज रहने से सायलान को राज्य सरकार के द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं का लाभ नही मिल पा रहा है सायलान के पिता का गलत नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज रहने से सायालन के खातेदारी अधिकारो का हनन होता है वादी अपना नाम संशोधन करवाने का अधिकारी है

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादीया के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निरतारण फरमावें।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया गया प्रस्तुत जमाबन्दी के अनुसार रोही मौजा मालिया के खाता संख्या 120/123 के खसरा न0 103/2.2770 , 186/4 की 3.0230 ,98 की 1.7200 ,99/4 की 3.0740हैक कुल 10.0940हैक भूमि सायलान के नाम से बतौर खातेदार दर्ज रिकार्ड है जिसमें सायलान के पिता का नाम गोमन्दराम दर्ज है

सायलान का कथन है कि उसके पिता का सही नाम गोविन्दराम है सायलान के पिता का नाम राजस्व रिकार्ड में हिन्दी उचारण के कारण गलत तौर से दर्ज हुआ है गोविन्दराम एवं गोमन्दराम दोनो एक ही व्यक्ति के नाम है सही नाम गोविन्दराम है यही राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहता है सभी दस्तावेजात में यही नाम दर्ज है

वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात वादी ने अपने कथनों के समर्थन में मतदाता फोटो पहचान पत्र, आम आदमी का आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, आदि में सायलान के पिता का नाम गोवन्दिराम दर्ज है

सायलान के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं सायलान के शपथ पत्र के आधार पर सायलान के पिता का नाम गोविन्दराम होना प्रतित होता है तथा सायलान के पिता का नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन करने से सयुक्त खातेदारों के हिस्सा में किसी प्रकार का परिर्वतन नही होता है सायलान के पिता का नाम संशोधन से राज्यहकों को कोई नुकसान नही होता है बल्की राजस्व रकार्ड ही आदिनांक होता है

सायलान के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत /शपथ पत्र तथा पेरोकार राज को किसी प्रकार को ऐतराज नही होने के कारण वाद सायलान का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा मालिया के खाता संख्या 120/123 के खसरा न0 103/2.2770 , 186/4 की 3.0230 ,98 की 1. 7200 ,99/4 की 3.0740हैक कुल 10.0940हैक भूमि में सायलान के पिता का नाम गोमन्दराम दर्ज के स्थान पर गोविन्दराम उर्फ गोमन्दराम संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकिन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 31/12/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
नोहर

क्रमांक : राजस्व / रीडर / 2020 / 1364-RA/32 दिनांक :- 31.12.20

तहसीलदार राजस्व

नोहर ।

विषय :- प्रकरण संख्या 32 / 2020 अनवानी धर्मपाल बनाम सरकार में पारित निर्णय की पालना करवाने के सम्बध मे।

अनवान :-

1. धर्मपाल पुत्र गोविन्दराम जाति मेधवाल निवासी मालिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. भजनाराम पुत्र गोविन्दराम जाति मेधवाल निवासी मालिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
3. मुखराम पुत्र गोविन्दराम जाति मेधवाल निवासी मालिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
4. रामकुमार पुत्र पुत्र गोविन्दराम जाति मेधवाल निवासी मालिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

सायलान

बनाम

1. राजस्थाान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर

गैरसायल

प्रार्थना पत्र बाबत दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम 1956

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रकरण संख्या 32 / 2020 अनवानी धर्मपाल बनाम सरकार में दिनांक 31/12/2020 को निर्णय पारित किया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा मालिया के खाता संख्या 120 / 123 के खसरा न0 103 / 2. 2770 , 186 / 4 की 3.0230 ,98 की 1.7200 ,99 / 4 की 3.0740हैक कुल 10.0940हैक भूमि में सायलान के पिता का नाम गोमन्दराम दर्ज के स्थान पर गोविन्दराम उर्फ गोमन्दराम संशोधन किया जाने का आदेश पारित किये गये है तदानुसार राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाना सुनिश्चित करे।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner